संख्या-60/2353/41-2017-45 (बजट)/2017

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक, 15 नवम्बर, 2017

विषय- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3721/के0यो0-अयोध्या/2017, दिनांक 11.10.2017 एवं पत्र संख्या 4005/के0यो0-अयोध्या/2017, दिनांक 31.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार के फाइल नं0-5-(12)/2017-एस0डी0 दिनांक 27.09.2017 द्वारा स्वीकृत रू0 13330.55 लाख (रूपये एक अरब तैंतीस करोड़ तीस लाख पचपन हजार मात्र) की परियोजना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त 20 प्रतिशत की धनराशि रू0 2352.95 लाख (रूपये तेईस करोड़ बावन लाख पंचानवे हजार मात्र) जो उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के स्टेट बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है, से अयोध्या के पर्यटन विकास का कार्य निम्नलिखित शर्तों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) अयोध्या के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय (स्वदेश दर्शन डिवीजन), भारत सरकार के स्वीकृत फाइल सं0 5:(12)/2017-एसडी दिनांक 27-09-2017 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित कार्यों को अंकित लागत के अनुसार उक्त आदेश में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ही किया जायेगा तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों/गाइडलाइन्स का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक 27.09.2017 में अधिकृत इम्प्लीमेन्ट एजेन्सी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के स्थान पर प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्थाओं यथा-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 तथा सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों पर भारत सरकार से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अपेक्षित धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के खाते में इलेक्ट्रानिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ट्रान्सफर के माध्यम से हस्तान्तरित करा दी जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से परियोजना का कार्य भारत सरकार के निर्धारित गाइडलाइन्स एवं बजट मैनुअल तथा वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) उपर्युक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को जी0एस0टी0 के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 पर्यटन मंत्री, भारत सरकार तथा मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 की नई दिल्ली में दिनांक 05.10.2017 को सम्पन्न बैठक के निर्गत कार्यवृत्त संख्या-2377/41-2017 दिनांक 06.11.2017 में उल्लिखित निर्देश/निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के निर्माण कार्य की लागत पर देयता के आधार पर राज्य सरकार के बजट से सेन्टेज आदि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से सुस्पष्ट निर्देश प्राप्त करते हुए भुगतान का प्रस्ताव निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त परियोजना हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक 27.09.2017 में उल्लिखित शर्तों (यथा-योजना हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से क्लियरेन्स प्राप्त होने, योजना हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता, कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन में दिव्यांगों हेतु बैरियर फ्री सुविधा उपलब्ध कराने, योजना हेतु पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण के मानकों के अन्तर्गत क्लियरेन्स प्राप्त किये जाने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप ही लोक निर्माण विभाग के मानकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने अदि) का अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त परियोजना का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी, जिसका अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा नियमित रूप से कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजना में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017 बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 07/2017 बी0-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 का पूर्णतया अनुपालन कराते हुए योजना/निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त का विवरण भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे पूर्ण विवरण सहित भारत सरकार के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से भारत सरकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा तथा परियोजना का कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु पर्टचार्ट तैयार कर उपलब्ध करया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पतियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2353(1)/41-2017-45 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, फैजाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग (कैनाल कालोनी, कैण्ट रोड), लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
10- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, फैजाबाद।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in